भारत में प्रशासन स्वेच्छाचारिता और न्यायिक नियंत्रण : एक विश्लेषण

अमृतंजय कुमार

प्रशासन पर न्यायालय द्वारा किये गये नियंत्रण को 'कानूनी प्रतिकार' कहा जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों का न्यायालय के प्रति जो उत्तरदायित्व है वही दूसरे रूप में 'कानूनी प्रतिकार' है। जब भी सरकारी अधिकारी अनाचार करता है या अपने अधिकारों का दुरूपयोग करता है तब कोई भी नागरिक न्यायालय में इसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है और त्राण पा सकता है। लोक प्रशासकों की स्वेच्छाचारिता पर न्यायालय अपना अंकुश और नियंत्रण कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ निश्चित सीमाओं, परिस्थितियों तथा शर्तों में ही रख सकते हैं। इसकी एक बड़ी शर्त यह है कि न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कोई व्यक्ति, समूह या संस्था न्यायालय में आवेदन पत्र देकर उससे इस आधार पर हस्तक्षेप करने की प्रार्थना न करे। अपनी पुस्तक में निग्रो साहब मानते हैं कि "लोक प्रशासक का संबंध सरकार के तीनों शाखाओं विधायी, न्याय संबंधी तथा कार्यकारी से है।" फिनर के शब्दों में लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना। लोक प्रशासन से अभिप्राय के सन्दर्भ में ग्लैडन ने तीखी टिप्पणी प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार का है–"लोक प्रशासन बहुरूपिये के समान है जिसे सरकार के बदलते हुए कार्यों के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। अतएव यह स्पष्ट है कि जहाँ पर लोक प्रशासन अधिकार पाकर बहके नहीं और बहक कर सीमा का बहिर्गमन करे तब उस पर प्रभावशाली नियंत्रण कायम कर संतुलन बनाया जाए। यों तो इसके लिए प्रशासन पर कार्यपालिका और विधायिका का नियंत्रण स्थापित है लेकिन न्यायिक नियंत्रण सबसे ज्यादा प्रभावशाली इसलिए है कि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है जो स्वतंत्र संस्थान न्यायपालिका के द्वारा की जाती है।